



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं: डब्ल्यू.एस.यू/ यू.ए.एन का गलत लिंकेज/ ई-838432/2026-27/12

दिनांक: 13 अप्रैल 2026

सेवा में,

सभी अ.के.आ (मुख्यालय)/ अ.के.आ (अंचल),

सभी क्षे.भ.नि.आ-I/ क्षे.भ.नि.आ-II/ सहा.भ.नि.आ./का. प्रभारी

विषय: नियोक्ता द्वारा अंशदान प्रेषित किए जाने की स्थिति में यूएएन से एमआईडी को डी-लिंक करने के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

कृपया दिनांक 17.01.2025 के परिपत्र संख्या: डब्ल्यू.एस.यू/ यू.ए.एन का गलत लिंकेज/ ई-838432/2024-25/10 के साथ संलग्न गलत एमआईडी को डी-लिंक करने हेतु 'यूजर मैनुअल' का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यक्षमता के विस्तार में उन मामलों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है, जहाँ सदस्य की जानकारी के बिना गलत एमआईडी बनाई गई थी और ऐसे एमआईडी में अंशदान भी उपलब्ध हैं।

सांकेतिक प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:

1. सदस्य 'सदस्य पोर्टल' के माध्यम से डी-लिंकिंग अनुरोध प्रस्तुत करेगा।
2. अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए नियोक्ता के लॉगिन पर भेजा जाएगा।
3. यदि नियोक्ता अनुरोध स्वीकार करता है, तो एमआईडी को नियोक्ता के स्तर पर डी-लिंक कर दिया जाएगा, **बशर्ते अंशदान अधिकतम 2 बार तक प्राप्त हुआ हो।**
4. यदि नियोक्ता 2 सप्ताह तक अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करता या उसे अस्वीकार कर देता है अथवा जहाँ सदस्य के संबंध में अंशदान 2 बार से अधिक लेकिन 6 बार तक प्राप्त हुआ हो, तो डी-लिंकिंग अनुरोध को आगे की जाँच हेतु **संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के 'संबंधित सहायक (अनुपालन)'** को भेजा जाएगा।
5. 'संबंधित सहायक' उचित जाँच के बाद इसे अनुभाग पर्यवेक्षक (अनुपालन) को प्रस्तुत करेगा, जो उचित सिफारिशों के साथ इसे क्षे.भ.नि.आ. (अनुपालन) को प्रस्तुत करेंगे।

6. क्षे.भ.नि.आ. (अनुपालन) अनुरोध की योग्यता के आधार पर कारणों को दर्ज करते हुए ऐसे डी-लिंकिंग अनुरोध की जाँच कर उसे अनुमोदित या अस्वीकृत करेंगे।
7. ऐसे डी-लिंक किए गए शेष बैलेंस को एस.आर.एफ. में स्थानांतरित करने हेतु अलग निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।

उन सदस्य आईडी के लिए डी-लिंकिंग अनुरोध की अनुमति नहीं होगी जिनसे दावे पहले ही संसाधित, निस्तारित या लंबित हैं अथवा जिनमें 6 बार से अधिक अंशदान प्राप्त हुआ है।


उपरोक्त कार्यक्षमता के लिए आई.एस.डी. से प्राप्त यूजर मैनुअल त्वरित जानकारी हेतु संलग्न है।

त्रुटियों, विलंब और परिणामी शिकायतों से बचने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

[क्षे.भ.नि.आ. के अनुमोदन से जारी]

संलग्नक: यूजर मैनुअल

भवदीय,



जी.आर. सुचिंद्रनाथ

अ.के.आ. (डब्ल्यूएसयू)